रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072024-255051
CG-DL-E-01072024-255051

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]	नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2024/आषाढ 9, 1946
No. 176]	NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2024/ASHADHA 9, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदशालय)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2024

सं. 13/2024–2025

विषयः प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.57 और 2.58 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. एम–5409/2002/पीसी–2 [क]/पार्ट–1/ई–17901.—विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.57 और 2.58 के तहत निम्नलिखित संशोधन करते हैंः–

2.57 प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के तहत आयात की प्रकिया

क. प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के तहत आयात समय–समय पर यथा संशोधित, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 28/2020–सीमाशुल्क दिनांक 23 जून, 2020 के अनुसार होगा।

ख. प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत आने वाली मदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम सं.	एच एस कोड	वस्तुओं का विवरण	प्रशुल्क दर कोटा मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0402 10 या 0402 21 00	पॉवडर, ग्रेन्यूल्स या अन्य ठोस रूपों में दूध और क्रीम, (क) वजन के अनुसार वसा की मात्रा 1.5% प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए (ख) वजन के अनुसार वसा की मात्रा 1.5% प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए–	10,000 मी.ट.

		इसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ नहीं मिला हुआ है	
2.	1005 90 11	डेंट कॉर्न (ज़िया मेस वीएआर. इंडेंटा):––पीला	4,98,900 मी.ट
	1005 90 19	डेंट कॉर्न (ज़िया मेस वीएआर. इंडेंटा):––अन्य	
	1005 90 20	फ्लिंट मक्का (ज़िया मेस वीएआर. इंडुराटा)	
	1005 90 90	अन्य	
	1005 90 30	मक्का (ज़िया मेस वीएआर. एवर्टा)	1,100 मी.ट
3.	1512 11	कच्चे सूरजमुखी के बीज या कुसुम तेल और उसके अंश	1,50,000 मी.ट
4.	1514 19 या 1514 99	परिष्कृत रेपसीड, कोल्ज़ा या सरसों का तेल और उसके अंश	1,50,000 मी.ट

ग. जबकि तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपीएमपी संख्या 43494/2014 और डब्ल्यूपी संख्या 34771/2014 में दिनांक 31.12.2014 के आदेश के तहत केवल वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त पर और प्रचलित सीमा शुल्क के भुगतान पर मक्का के आयात की अनुमति दी है, लेकिन टीआरक्यू सीमाशुल्क के भुगतान शुल्क अनुमति नहीं दी है, जो रिट याचिका में आगे के आदेशों के अधीन है। तदनुसार, मक्का पर टीआरक्यू उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगा।

2.58 कोटा आवंटन के लिए पात्र कंपनियां

निम्नलिखित कंपनियां प्रकिया पुस्तक के पैरा 2.57 के संदर्भ में प्रषुल्क दर कोटा के लिए आवदेन करने हेतु पात्र होंगीः

(क) पैरा 2.57 (ख)(1) में मदें – राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (एनसीडीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)।

(ख) पैरा 2.57(ख)(2) में मदें – भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), राज्य सहकारी विपणन संघ।

(ग) पैरा 2.57 (ख)(3) एवं (4) में मदें – राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य सहकारी विपणन संघ एवं राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रषुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत प्रक्रिया और पात्रता में संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th June, 2024

No. 13/2024-25

Subject: Amendment in Para 2.57 and 2.58 of the Handbook of Procedures - reg.

F. No. M-5409/2002/PC-2[A]/Part-I. E-17901).—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, the Directorate General of Foreign Trade hereby makes the following amendments under Para 2.57 and 2.58 of the Handbook of Procedures 2023:

2.57 Procedure for import under the Tariff Rate Quota Scheme

a. Imports under the Tariff Rate Quota Scheme shall be as per the Customs Notification No. 28/2020-Customs dated 23.06.2020 of Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India as amended from time to time.

b. The details of Items covered under the TRQ Scheme are as follows –

Sl. No.	HS Codes	Description of goods	TRQ Quantity
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	0402 10 or 0402 21 00	Milk and cream in powder, granules or other solid forms, (a) of a fat content by weight not exceeding 1.5%;	10,000 MTs

		(b)of a fat content, by weight, exceeding 1.5% - not containing added sugar or other sweetening matter	
2.	1005 90 11	Dent corn (Zea mays var. indenta):----Yellow	4,98,900 MTs
	1005 90 19	Dent corn (Zea mays var. indenta):----Other	
	1005 90 20	Flint corn (Zea mays var. indurata)	
	1005 90 90	Other	
	1005 90 30	Popcorn (Zea mays var. everta)	1,100 MTs
3.	1512 11	Crude sunflower seed or safflower oil and fractions thereof	1,50,000 MTs
4.	1514 19 or 1514 99	Refined rape, colza or mustard oil and fractions thereof	1,50,000 MTs

c. Whereas the Hon’ble High Court of judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh vide order dated 31.12.2014 in WPMP No.43494 of 2014 and W.P.No.34771 of 2014, has permitted import of maize only on Actual User Condition and on payment of Customs duty prevailing, but not TRQ Customs duty, subject to further orders in the Writ Petition. Accordingly, TRQ on Maize shall be subject to orders of the Hon’ble High Court in the said Writ Petition.

2.58 Eligible entities for allocation of quota

The following entities shall be eligible for applying for TRQ with reference to para 2.57 of HBP:

(a) Items at para 2.57(b)(1) - National Dairy Development Board (NDDB), National Cooperative Dairy Federation (NCDF), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (NAFED).

(b) Items at para 2.57(b)(2) - National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), State Cooperative Marketing Federations.

(c) Items at para 2.57(b)(3) & (4) - National Dairy Development Board (NDDB), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (NAFED), Central Warehousing Corporation (CWC), State Cooperative Marketing Federation & State Cooperative Civil Supplies Corporation.

Effect of this Public Notice:

Procedure and Eligibility under the Tariff Rate Quota Scheme are amended.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.01 16:27:19 +05'30'